4/15.7.15

(519)

महत्वपूर्ण / तत्काल / ई–मेल / फैक्स
संख्या– 5223 / III(2)14–51(सामान्य) / 2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, मा0 मुख्यमंत्री एवं
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

C.E (H.Q)/SSO I

सेवा में,

समस्त अधीक्षण अभियन्ता (नोडल),
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 08 जुलाई, 2015

विषय : लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में कार्यरत श्रमिकों के लिए खण्डों की आवश्यकतानुसार विभिन्न आइटम की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड में पर्वतीय जनपदों की विषम भौगोलिक परिस्थियों में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के फील्ड कर्मचारियों को वर्ष भर अत्यन्त कठिन परिस्थियों में कार्य करना पड़ता है। वर्षाकाल में कईवार सड़क में कार्य करते समय हिल साइड में हवा के कारण अथवा वर्षा के कारण या जंगली प्राणियों जैसे बन्दर, लंगूर, हिरन आदि के चलने से भी पत्थर गिरने पर गैंग में कार्यरत श्रमिक घायल हो जाते हैं, ऐसी परिस्थियों में यदि हेल्मेट पहना रहे तो सिर में चोट लगने की सम्भावना कम हो सकती है। इसी प्रकार शीत ऋतु में अत्याधिक ठण्ड के कारण श्रमिक या तो कार्य पर नहीं पहुंच पाते हैं अथवा जो कार्य करते भी हैं उसमें कृत कार्य की मात्रा काफी कम रहती है।

2. सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फील्ड कर्मचारियों से विषम भौगोलिक परिस्थियों में अधिक से अधिक Output लेने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें कतिपय आवश्यक आइटम उपलब्ध कराने की नितान्त आवश्यकता है।

3. चार धाम यात्रा, श्री हेमकुण्ट साहिब यात्रा तथा कैलास मानसरोवर यात्रा आदि को प्रारम्भ करने हेतु मार्गों को सही स्थिति में लाने के लिए वहां जमा हुई बर्फ या ग्लेसियर में सड़क / पैदल यात्रा मार्ग बनाने के कार्य के समय गर्म कपड़े जैसे कि वूलन शर्ट, वूलन स्वेटर, वूलन पैंट, लौंग ओवर कोट, मंकी कैप, स्लीपिंग बैग, स्नो शूज, रेन कोट, वर्षाती, सेफ्टी जैकेट आदि आइटम श्रमिकों को दिया जाना कार्यहित में आवश्यक प्रतीत होता है। मैदानी भागों में भी श्रमिकों के लिए सेफ्टी जैकेट, रेनकोट / वर्षाती, जूते आदि आइटम उपलब्ध करायें।

4. सामान्य रूप से वर्ष में एक बार उक्त सुविधा अनुमन्य होगी। उपरोक्त आइटमों पर आने वाला व्यय आगणनों की कन्टेन्जेन्सी की मद से वहन किया जाय।

5 अधीक्षण अभियन्ता (नोडल) सभी सिविल खण्डों से सूचना प्राप्त कर संलग्न प्रपत्र पर संकलित सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2015 तक विभाग द्वारा संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जाय। अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाय कि वे खण्ड की आवश्यकता के अनुरूप आगणन की कन्टेन्जेन्सी मद से उक्त सामग्री का क्रय करते हुए श्रमिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : प्रपत्र 20 कालम, 01 नं0।

1 अस्थाई 16/07/15

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 5223 / III(2)14–51(सामान्य) / 13, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (देहरादून क्षेत्र / पौड़ी क्षेत्र / टिहरी क्षेत्र / अल्मोड़ा क्षेत्र / हल्द्वानी क्षेत्र / पिथौरागढ़ क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी / टिहरी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग (गढ़वाल क्षेत्र / कुमायूं क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, देहरादून / हल्द्वानी।
4. मुख्य अभियन्ता ए0डी0बी0 / विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि :— पत्रांक 526/05 का0 प्र0 –अधि0/15 दिनांक 16-7-2015
1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता + रा. मा. लो.नि.वि.
2. समस्त अधीक्षण अभि0 (सिविल) / (रा. मा.) —"—
3. SSO I / EE I

— 4 —

15.7.15

P.T.O